<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u> 25.04.2017

दिनांक 25, अप्रैल 2017 को प्रातः 11:00 बजे से मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विभाग द्वारा "जीएसटी पर कार्यशाला एवं केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के निर्धारिती (Assesses) का जीएसटीएन पोर्टल पर स्थानान्तरण" पर सत्र का आयोजन किया गया जिसमें जीएसटी तथा जीएसटीएन पर माइग्रेशन के बारे में जानकारी दी गयी।

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री पदम कुमार जैन ने मुख्य-वक्ताओं श्री संसार चन्द, आयुक्त, श्री डी.के. दुबे, मास्टर ट्रेनर- पेन इंडिया (सीबीईसी एवं जी.एस.टी.), श्री अनिल पाठक, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अधकारीगण, मर्चेंट्स चैम्बर के सदस्य गण तथा कानपुर के अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं से उपस्थित प्रतिनिधिगण, सी.ए. विशेषज्ञों का स्वागत किया तथा कहा कि जी.एस.टी हमारे देश के आजादी के बाद का कर-सुधार की दिशा में लिया गया सबसे बड़ा कदम है इससे हमारे देश की जी.डी.पी. लगभग 11% तक पहुचने का अनुमान लगाया गया है।

उक्त कार्यशाला को श्री संसार चन्द, आयुक्त, ने संबोधित किया और जी एस टी के विषय में संछिप्त में जानकारी के साथ यह बताया कि हम कैसे जीएसटीएन पर माइग्रेट करेंगे।

श्री अनिल पाठक, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, ने जी.एस.टी. के मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की तथा निर्धारिती (Assesses) की शंकाओं का समाधान किया।

जीएसटी का संछिप्त विवरण श्री विवेक गुप्ता, अधीक्षक ने करदाताओं को जीएसटी में कैसे माइग्रेट करना है की विस्तृत जानकारी दी। श्री विवेक गुप्ता ने बताया कि जीएसटी माइग्रेशन के लिए टोलफ्री नं 18001200232 तथा ईमेल आई.डी. cbecmitra.helpdesk@icegate.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

परिचर्चा के दौरान मुख्य रूप से बताया गया कि:

- जी एस टी वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति पर लागू होगा।
- मदिरा एवं पांच पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़ कर बाकी सभी वस्तुओं पर जी एस टी लागू होगा।
- तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद पर जी एस टी लगेगा इसके अतिरिक्त सरकार इन पर उत्पाद शुल्क भी लगा सकती है।
- वह करदाता जिनका सकल व्यावसायिक लेनदेन एक वित्तीय वर्ष में बीस लाख से कम है जी एस टी से Exempt रहेंगे।
- यह सीमा अंतर्राजीय आपूर्ति पर तथा Reverse Charge में सेवाकर पर लागू नहीं होगी ऐसी प्रत्येक आपूर्ति पर जी एस टी लागू होगा।
- लघु कर दाता (जिनका एक वित्तीय वर्ष में सकल व्यावसायिक लेनदेन पचास लाख तक है) composition scheme के लिए eligible होंगे, जिसके अंतर्गत उन्हें अपने व्यावसायिक लेनदेन का निर्धारित प्रतिशत जी एस टी देना होगा।
- निर्यात को शून्य दर आपूर्ति माना जायेगा अतः कर देयता नहीं होगी।

निम्न श्रेणी को जी एस टी करदाता नहीं माना जाएगा:

- कृषि कार्य करने वाले।
- अपने मालिक को सेवा प्रदान करने वाले।
- जी एस टी से exempted वस्तुओ का व्यापार करने वाले।
- निर्धारित मूल्य से कम की सेवा ग्रहण करने वाले व्यक्ति जो सेवा अपने निजी प्रयोग के लिए ली गई हैं।
- प्रत्येक कर दाता को GSTN पर पंजीकरण / माइग्रेशन करना होगा तथा हर माह में GST Return file करना होगा।

अपने मौजूदा ACES यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके www.aces.gov.in पोर्टल पर लोग ऑन करें । पॉप-अप इन्टरमिडियरी ओपनिंग पेज में प्रदर्शित हाइपरलिंक पर क्लिक करके Home Page>Menu>REG>Provisional ID for GST के माध्यम से, अस्थायी आईडी और पासवर्ड प्राप्त करे। www.gst.gov.in पर लोग ऑन करें। ACES वेबसाइट से प्राप्त प्रोविसिनल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके यूनिक यूजर नेम और नया पासवर्ड बनाये। फॉर्म 20 में नामांकन आवेदन भरें। आवश्यक दस्तावेजों के साथ नामाकन फॉर्म जमा करें।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवा कर के पंजीकृत निर्धारितों, जिन्हें राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रोविसोनल आईडी प्रदान कर दी गयी है, को फिर से सीबीईसी के माध्यम से नया प्रोविसोनल आईडी प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

इस कार्यशाला का उद्देश्य जीएसटी के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा जनसाधारण तक इसकी जानकारी पहुचाना है एवं जो करदाता पहले से विभाग में पंजीकृत है उनको जीएसटीएन में माइग्रेट कराना है।

कार्यशाला का संचालन श्री मुकुल बाजपेई, अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर ने किया।

आयोजित की गयी इस कार्यशाला में मुख्य रूप से सी.ए. राजेश मेहरा, श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, श्री जी.के.धूपर, श्री एस.सी, गर्ग, श्री एन.पी. श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त, श्री सुबोध गुप्ता, सहायक आयुक्त, श्री ए. के., सिन्हा, सचिव, एम.सी.यू.पी., श्री मनोज जैन, अधीक्षक, श्री आशीष बाजपेई, अधीक्षक, श्री संजय, दीछित, निरिक्षक एवं कानपुर की अन्य प्रतिष्टित संस्थाओं के सदस्यगण और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अधिकारीगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश

एवं

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर